श्रीमान जी

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

भुलेखड़ि राजस्व रिकार्ड ग्राम बरखेड़ा खाता 6.159 किस्म-16 रकबा 4.42 में अन्सा सलोचना वि. औरत्या खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी ने फर्जी प्रति विलेख नं. 32/12.11.2000 द्वारा प्राप्त कर ली है। जिसमें प्रार्थी का नाम (नं. 32) अन्सा सलोचना वि. औरत्या ही दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में सुलोचना व हंसा दर्ज है। कैम्प मामले में तैयार की गई अनुसार सुलोचना/सलोचना व अन्सा/हंसा एक ही है। अतः भुलेखड़ि दस्तावेज में गई त्रुटि नाम शुद्धि उचित होगा। रिपोर्ट उचित व अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

06/6/23
IAR
कैम्प बरखेड़ा

पटवारी & IAR की रिपोर्ट के आधार पर नाम शुद्धि की अनुशंसा की जाती है।

कोर्ट/कैम्प/22/117 दि० 6/6/23

श्रीमान उपखण्ड अधि० महो० चाकसू

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील चाकसू (जयपुर)

आदेश

नोटिस जारी
माननीय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर राहत कैम्प बरखेड़ा

प्रकरण संख्या 98/2023 दिनांक 06/06/23

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चाकसू की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बरखेड़ा की जमाबंदी की भूमि सं. 159 में दर्ज नाम सुलोचना व हंसा के बजाय सही नाम सुलोचना और हंसा दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार चाकसू आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)